न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 19/2025/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

श्रीमति सुमन उर्फ शकुन्तला पुत्री स्व. नारायण सिंह पत्नी नरपत सिंह जोधा जाति राजपूत निवासी हाउस नं. 141, तीसरा फ्लोर, सेक्टर 50, फेस्को निवाणा कन्ट्री, गुड़गांव, हरियाणा

–प्रार्थिया

बनाम

1. निखिल पोद्दार, आर.ए.एस हाल उपखण्ड अधिकारी सीकर
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी रामू का बास तहसील व जिला सीकर (राज.)
3. किशोर सिंह दत्तक पुत्र स्व. रामसिंह
4. धीरेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिंह
5. भूपेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिंह

   समस्त जाति राजपूत, निवासी रामू का बास, तहसील व जिला सीकर (राज.)
6. दिलिप सिंह पुत्र भागीरथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी बस स्टेण्ड के सामने, देवीपुरा, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)
7. विक्रम सिंह पुत्र अमर सिंह, जाति राजपूत, निवासी बस स्टेण्ड के सामने, देवीपुरा, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)
8. सुशीला सिंह पुत्री स्व. नारायण सिंह पत्नी मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी सहनाली बड़ी जिला चूरू (राज.) – (फौत)

   8/1. मनोहर सिंह राठौड़ पुत्र स्व. माधोसिंह जाति राजपूत निवासी सहनाली बड़ी जिला चूरू (राज.)

   8/2. पृथ्वी सिंह राठौड़ पुत्र मनोहर सिंह निवासी प्लाट नं. 93, सहनाली हाउस सालासर वाटिका बिणजारी मार्ग, दादी का फाटक जयपुर

   8/3. प्रताप सिह पुत्र मनोहर सिह निवासी प्लाट नं. 93, सहनाली हाउस सालासर वाटिका बिणजारी मार्ग, दादी का फाटक जयपुर

   8/4. सन्जू पुत्री मनोहर सिंह निवासी प्लाट नं. 93, सहनाली हाउस सालासर वाटिका बिणजारी मार्ग, दादी का फाटक जयपुर

   8/5. मन्जू पुत्री मनोहर सिंह पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ निवासी मयूर विहार कॉलोनी, महाराणा प्रताप मार्ग, शारदा विद्या मंदिर के पास नांगल, जैसागोरा जयपुर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

9. सरोज सिंह पुत्री स्व. नारायण सिह पत्नी धूणसिह जाति राजपूत निवासी शान्ति नगर जयपुर

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री कैलाश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 की ओर से।

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली बाबत **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर** में विचाराधीन **प्रकरण संख्या 148/2022 किस्म मुकदमा अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 व 99 सी.पी.सी. उनवानी सुमन उर्फ शकुन्तला बनाम राजेन्द्र**

निर्णय

दिनांक : 29 जुलाई, 2025

1. प्रार्थी वकील **श्री कैलाश शर्मा** द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर** में विचाराधीन **प्रकरण संख्या 148/2022 किस्म मुकदमा अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 व 99 सी.पी.सी. उनवानी सुमन उर्फ शकुन्तला बनाम राजेन्द्र** को अन्यत्र न्यायालय में सुनवायी हेतु स्थानान्तरित करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया हैः—

(1) उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थीगण राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा एक वाद बाबत उद्घोषणा एवं बंटवारा बउनवानी राजेन्द्र सिंह बनाम किशोर सिंह आदि के नाम से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थिया सुमन उर्फ शकुन्तला को लापता दिखाकर उक्त वाद अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां विचाराधीन है।

(2) उक्त वाद के डिक्री किये जाने का ज्ञान होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां आदेश 21 नियम 97 सीपीसी बाबत यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 बहुत रसूखवाले व्यक्ति है। जो हमेशा ही पेशी के दिन अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में मौजूद रहकर उक्त आदेश को बिना प्रोपर प्रक्रिया अपनाये ही खारिज करवाने के प्रयास में लगे हुए है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को भी अपने प्रभाव में ले लिया है। उक्त पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिन प्रतिदिन की तारीख दी

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

जा रही है तथा प्रार्थिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थिया को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के पीठासीन अधिकारी श्री निखिल पोदार से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। इस कारण मुन्तकिली आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

(3) अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया को ऐलानियां धमकी दी गई हैं कि **"हमने पीठासीन अधिकारी को नाजायज दबाब में ले लिया है तथा अब तुम्हारे खिलाफ आदेश करवाने में देरी नहीं होने वाली है तुम चाहे जो कर लो।"** इस पर प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ एक मुन्तकिली आवेदन माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहां प्रस्तुत किया, जिसको माननीय मण्डल द्वारा निगरानी चलने योग्य नहीं होने के कारण तथा जिला कलेक्टर के यहां आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया।

(4) अतः मुन्तकिली आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद संख्या 148/2022 बउनवानी सुमन उर्फ शकुन्तला बनाम राजेन्द्र सिंह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां से अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अप्रार्थीगण राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा एक वाद बाबत उद्घोषणा एवं बंटवारा बउनवानी राजेन्द्र सिंह बनाम किशोर सिंह आदि के नाम से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थिया सुमन उर्फ शकुन्तला को लापता दिखाकर उक्त वाद अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां विचाराधीन है। उक्त वाद के डिक्री किये जाने का ज्ञान होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां आदेश 21 नियम 97 सीपीसी बाबत यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिन प्रतिदिन

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

की तारीख दी जा रही है तथा प्रार्थिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थिया को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के पीठासीन अधिकारी श्री निखिल पोद्दार से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। इस कारण मुन्तकिली आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ एक मुन्तकिली आवेदन माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहां प्रस्तुत किया, जिसको माननीय मण्डल द्वारा चलने योग्य नहीं होने के कारण तथा जिला कलेक्टर के यहां आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया। अतः मुन्तकिली आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद संख्या 148/2022 बउनवानी सुमन उर्फ शकुन्तला बनाम राजेन्द्र सिंह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां से अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने की कृपा करें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 ने अभिकथन किया कि, प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों को आधार बनाकर मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा निस्तारित प्रकरण की अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां विचाराधीन है। प्रार्थिया द्वारा उक्त वाद के विवादित आराजियात के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 व 99 सीपीसी बाबत यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 06.06.2022 को विवादित आराजियात पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश पारित किये हुए अर्सा 3 वर्ष से अधिक हो चुका है। प्रार्थिया द्वारा एक मुंतकिली आवेदन न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2025 को आदेश पारित कर "abuse of the process of law" के अंकन के साथ प्रकरण को खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। प्रार्थिया द्वारा मात्र प्रकरण को विलम्बित करने के उद्देश्य से यह आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध आवेदन, दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी का बगौर अवलोकन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं कि,

(1) अप्रार्थीगण राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा एक वाद बाबत उद्घोषणा एवं बंटवारा बउनवानी राजेन्द्र सिंह बनाम किशोर सिंह आदि के नाम से अधीनस्थ न्यायालय

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय उपखरण्ड अधिकारी सीकर द्वारा निर्णय/डिक्री पारित कर दिया गया है, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां विचाराधीन है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित विवादित आराजियात बाबत प्रकरण अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 व 99 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2022 को विवादित आराजियात पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं। प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रकरण अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 व 99 सीपीसी को अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(2) वकील प्रार्थिया ने दौराने बहस कथन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया को सुनवाई के समुचित असवर प्रदान नहीं किये हैं। इसी प्रकार के कथन उन्होंने अपने आवेदन में भी अंकित किये हैं। जबकि प्रकरण अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 व 99 सीपीसी स्वयं प्रार्थिया द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से भी स्पष्ट है कि आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.06.2022 को विवादित आराजियात पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश आदिनांक तक यथावत हैं। ये तथ्य स्वयं प्रार्थिया द्वारा अपने आवेदन में भी अंकित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

(3) प्रार्थिया ने अपने आवेदन में अंकित किया है कि, प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ एक मुन्तकिली आवेदन माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहां प्रस्तुत किया, जिसको माननीय मण्डल द्वारा चलने योग्य नहीं होने के कारण तथा जिला कलेक्टर के यहां आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया। जबकि वकील अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 09.04.2025 को आदेश पारित कर "abuse of the process of law" के अंकन के साथ प्रकरण को खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

(4) प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में की गई कार्यवाही नियमानुसार अथवा विधिक रूप से नहीं किया जाना प्रतीत होता हो। दौराने बहस भी वकील प्रार्थी द्वारा अपने मुंतकिली आवेदन एवं पीठासीन

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(5) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित आक्षेपों को यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलम्बित किये जाने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है। फिर भी पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया सुमन उर्फ शकुन्तला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** किया जाता है। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 148/2022 किस्म मुकदमा अन्तर्गत आदेश 21 नियम 97 व 99 सी.पी.सी. उनवानी सुमन उर्फ शकुन्तला बनाम राजेन्द्र में उभयपक्षकारान को दस्तावेज एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।**

6. निर्णय आज दिनांक **29 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर